फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती पुजा **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 49/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.10.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम प्रभा पत्नी विष्णु व्यास गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2022, बैंक ऑफ बडौडा चेक बुक की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में वादीया का नाम पुजा अंकित है। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर प्रभा व पुजा को एक ही महिला होना बताया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 4485/1731 रकबा 3 बीघा भूमि में खातेदार प्रभा पत्नी विष्णु व्यास के बजाय प्रभा उर्फ पुजा पत्नी विष्णु व्यास संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:36:02 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 49/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00077

उनवान

1. श्रीमती पुजा पत्नी विष्णु व्यास निवासी सवाणिया तह. मावली।

...................वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 4485/1731 रकबा 3 बीघा भूमि में खातेदार प्रभा पत्नी विष्णु व्यास के बजाय प्रभा उर्फ पुजा पत्नी विष्णु व्यास संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2022 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:36:02 IST
Reason: SelfAttested